रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 1989/फाल्गुन 25, 1910
No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1989/PHALGUNA 25, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का.आ. 195(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार जिन्दल, 3363, केसरवालान, पहाड़गंज, नई दिल्ली के निवासी द्वारा एक याचिका फाइल की गई है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि वर्तमान लोक सभा (आठवीं) के एक सौ से अधिक पदासीन सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) अधीन निरर्हित हो गए हैं;

और अत: अर्जी के संदर्भ में इस प्रश्न पर कि क्या उक्त पदासीन सदस्य ऐसी निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं या नहीं, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग से राय मांगी गई थी;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है कि (उपाबन्ध देखिए) उक्त पदासीन सदस्य ऐसी किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुए हैं;

अत: अब मैं, रामस्वामी वेंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार इसके द्वारा विनिश्चय करता हूं कि लोक सभा के उक्त पदासीन सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन लोक सभा का सदस्य चुने जाने या होने के लिए, ऐसी किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुए हैं।

7 मार्च, 1989

रामस्वामी वेंकटरामन,
भारत के राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

निर्देश मामला सं. 1987 का 3

(संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश)

संदर्भ :—लोक सभा के लगभग एक सौ पदासीन सदस्यों की अभिकथित निरर्हता

राय

1.1 यह भारत के राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग से, इस प्रश्न की बाबत किया वर्तमान (आठवीं) लोक सभा के कतिपय पदासीन सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन निरर्हित हो गए हैं, मांगी गई राय के संदर्भ में है।

1.2 उपरोक्त प्रश्न भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 6-5-1987 को श्री राजेन्द्र कुमार जिन्दल, 3363, केसुरवालान, पहाड़गंज, नई दिल्ली के

निवासी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन फाइल की गई अर्जी में उठाया गया था। अर्जीदार ने अभिकथित किया है कि वर्तमान (आठवीं) लोक सभा के एक सौ से अधिक पदासीन सदस्य, लोक सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित थे क्योंकि वे दिसम्बर, 1984 में वर्तमान लोक सभा के निर्वाचन के समय (सातवीं) लोकसभा के पदासीन सदस्य थे और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थ के अन्तर्गत वे सरकार के अधीन "लाभ का पद" धारण किए हुए थे। उन्होंने अपनी पूर्वोक्त अर्जी के साथ, संसद के एक सौ से अधिक पदासीन सदस्यों की सूची (उपाबन्ध "क" के रूप में इसके साथ संलग्न है) संलग्न की है। उन्होंने तर्क दिया है कि उपर्युक्त "लाभ का पद" धारण करने के कारण, उक्त सदस्य निर्वाचन लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इन निरर्हित सदस्यों के साथ गठित आठवीं लोक सभा "इस प्रकार अवैध रूप से गठित लोक सभा है", और इस सदन को विघटित किए जाने का आदेश दिया जाए तथा संविधान की पवित्रता बनाए रखने के लिए आठवीं लोक सभा के ऐसे सदस्यों को निरर्हित होने का आदेश दिया जाए।

2. श्री जिन्दल की अर्जी से यह स्पष्ट है कि उनका यह तर्क कि वर्तमान लोक सभा के उपरोक्त पदासीन सदस्य जिस पद पर चुने गए है, जैसा कि अधिकथित है अपना निर्वाचन लड़े जाने के समय निरर्हताग्रस्त होने के कारण निर्वाचन लड़ने के लिए सक्षम नही थे। इस प्रकार, यद्यपि इस तर्क के कारण यह उपधारणा करली जाए कि उक्त सदस्य निरर्हता ग्रस्त थे तो उनकी ऐसी निरर्हता निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता होगी, अर्थात् वर्तमान लोक सभा के निर्वाचन के समय और उसके पूर्व से वे ऐसी निरर्हता से ग्रस्त थे। यह एक सुस्थापित विधि है कि ऐसा निर्वाचन-पूर्व निरर्हता संबंधी प्रश्न केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन अर्जी के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के ऐसे मामले की राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग की जांच-पड़ताल करने संबंधी अधिकारिता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन उठता ही नहीं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकट राव (1953 ए एस आर 1144), बृन्दावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (ए आई आर 1965 एस सी 1892), निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (ए आई आर 1978 एस सी 1609) आदि के विनिश्चय देखिए। अतः अर्जीदार संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के अनुसार उक्त प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठा सकता।

3. राष्ट्रपति जी को उक्त प्रभाव की अपनी राय सहित वर्तमान निर्देश को लौटाने के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत कोई संसद् सदस्य "लाभ का पद" धारण करता है, प्रश्न को उच्चतम न्यायालय द्वारा भगवती प्रसाद डोकेवाला बनाम राजीव गांधी (ए आई आर 1986 एस सी 5135) के मामले में निश्चायक रूप से अपने निर्णय में अवधारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:--

"यह निस्सन्देह सत्य है कि अनुच्छेद 102(1)(क) में यह उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले को निरर्हित न होना संसद् में विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है, तो उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और होने के लिए निरर्हित होगा। विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या संसद् के किसी सदन की सदस्यता ऐसे लाभ का पद है। अपीलार्थी द्वारा दिया गया तर्क यदि सही है तो संसद के सभी सदस्य, सदस्य के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होने के कारण, संसद् के सदस्य होंगे ही नहीं। संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद् समय-समय पर अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे। संविधान के अनुच्छेद 102(1) के उपखंड (क) और अनुच्छेद 106 का अर्थान्वयन सुसंगत ढंग से किया जाना आवश्यक है। जब इन अनुच्छेदों का अर्थान्वयन इस प्रकार किया गया है तब यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि संसद के किसी सदस्य को संदेय भत्ते प्राप्त करने के कारण संसद् का कोई सदस्य, संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या संसद के किसी सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा। किसी भी दशा में संसद की सदस्यता सरकार के अधीन पद धारण करना नही है। अतः यह तथ्य कि उस तारीख को जिसको निर्वाचन हुए थे, लोक सभा विघटित नही की गई थी, प्रतिवादी के मामले में लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचन के लिए उसके अभ्यर्थी होने के लिए निरर्हित करने वाला नहीं माना जाएगा।"

उक्त संवैधानिक और विधिक स्थिति को अर्जीदार की जानकारी मे ला दिया गया था और अच्छी तरह से उसे स्पष्ट कर दिया गया था जब वह मुझ से अपनी इस अर्जी के संबंध में व्यक्तिगत रूप से मिला था।

ह० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,
तारीख 23 दिसम्बर, 1988

[फा. सं. 7(5)/89-विधायी-II]

एम के रामस्वामी, संयुक्त सचिव।

उपाबन्ध "क"

उन कुछ संसद सदस्यों की सूची जो सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और जिन्होंने वेतन प्राप्त करते हुए आठवीं लोक सभा के लिए निर्वाचन लड़ा और आठवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए

(1)	श्री वी किशोरचन्द्र एस. देव	आन्ध्र प्रदेश	अन्य दल कांग्रेस एस.
(2)	प्रोफेसर एन.जी. रंगा	आन्ध्र प्रदेश	कांग्रेस आई
(3)	श्री भागवत झा आजाद	बिहार	कांग्रेस आई.
(4)	श्री सुमरोई बेगुन	बिहार	कांग्रेस आई
(5)	श्री डी.एल. बैठा	बिहार	कांग्रेस आई.
(6)	श्री बी.आर. भगत	बिहार	कांग्रेस आई
(7)	श्री सेठ हेमब्रोम	बिहार	कांग्रेस आई.
(8)	कुमारी कमला कुमारी	बिहार	कांग्रेस आई.
(9)	श्री कुंवर राम	बिहार	कांग्रेस आई.
(10)	श्रीमती माधुरी सिंह	बिहार	कांग्रेस आई.
(11)	श्री रामस्वरूप राम	बिहार	कांग्रेस आई
(12)	श्री भोला राउत	बिहार	कांग्रेस आई.
(13)	श्रीमती कृष्णा साही	बिहार	कांग्रेस आई.
(14)	श्री शिव प्रसाद साहू	बिहार	कांग्रेस आई.
(15)	श्रीमती किशोरी सिन्हा	बिहार	कांग्रेस आई.
(16)	श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	बिहार	कांग्रेस आई
(17)	श्री तपेश्वर सिंह	बिहार	कांग्रेस आई
(18)	श्री तारिक अनवर	बिहार	कांग्रेस आई.
(19)	प्रोफेसर के.के. तिवारी	बिहार	कांग्रेस आई.
(20)	श्री डी.पी. यादव	बिहार	कांग्रेस आई
(21)	श्री विजय कुमार यादव	बिहार	कांग्रेस आई.
(22)	श्री ईश्वर भाई के. चावडा	गुजरात	कांग्रेस आई.
(23)	श्री अजीत सिंह डाभी	गुजरात	कांग्रेस आई.

(24)	श्री सोम जी भाई डामोर	गुजरात	कांग्रेस आई.
(25)	श्री दिग्विजय सिंह	गुजरात	कांग्रेस आई.
(26)	श्री बी के. गदवी	गुजरात	कांग्रेस आई.
(27)	श्री चिनुभाई गामित	गुजरात	कांग्रेस आई.
(28)	श्री जी.बी. गोहिल	गुजरात	कांग्रेस आई.
(29)	श्री दौलत सिंह जी जडेजा	गुजरात	कांग्रेस आई.
(30)	श्री जयदीप सिंह	गुजरात	कांग्रेस आई.
(31)	श्री अहमद एम. पटेल	गुजरात	कांग्रेस आई.
(32)	श्री सी.डी. पटेल	गुजरात	कांग्रेस आई.
(34)	श्री यू.एस. पटेल	गुजरात	कांग्रेस आई
(34)	श्री अमर सिंह राठवा	गुजरात	कांग्रेस आई.
(35)	श्री नवीन चन्द्र रावनी	गुजरात	कांग्रेस आई.
(36)	श्री नटवर सिंह सोलंकी	गुजरात	कांग्रेस आई.
(37)	श्री चिरंजी लाल शर्मा	हरियाणा	कांग्रेस आई.
(38)	प्रोफेसर नारायण चन्द्र पराशर	हिमाचल प्रदेश	कांग्रेस आई.
(43)	श्री जी. देवरया नायक	कर्नाटक	कांग्रेस आई.
(44)	श्री डी.के. नायकर	कर्नाटक	कांग्रेस आई.
(45)	श्री एम.वी. सिदनल	कर्नाटक	कांग्रेस आई.
(46)	प्रोफेसर पी जे. कुरियन	केरल	कांग्रेस आई.
(47)	श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ	केरल	अन्य दल, मुस्लिम लीग
(48)	श्री के.पी. उन्नीकृष्णन	केरल	अन्य दल, कांग्रेस एस.
(49)	श्री वी एस. विजयराघवन	केरल	कांग्रेस आई.
(50)	श्री परसराम भारद्वाज	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(51)	श्री दिलीप सिंह भूरिया	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(52)	श्री चन्दू लाल चन्द्राकर	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(53)	श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(54)	श्री दलबीर सिंह	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(55)	श्री कमल नाथ	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(56)	श्री जी.एस. मिश्र	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(57)	श्री अरविंद नेतम	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई
(58)	श्री रामेश्वर नीखरा	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(59)	श्री पी सी. सेठ	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(60)	श्री नन्द किशोर शर्मा	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(61)	श्री प्रताप भानु शर्मा	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(62)	श्री विद्याचरण शुक्ल	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(63)	श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह	मध्य प्रदेश	कांग्रेस आई.
(64)	श्री आर.एम. भोई	महाराष्ट्र	कांग्रेस आई.
(65)	श्रीमती ऊषा चौधरी	महाराष्ट्र	कांग्रेस आई.
(66)	प्रोफेसर मधु दण्डवते	महाराष्ट्र	अन्य दल, जनता
(67)	श्री वी एम. गाडगिल	महाराष्ट्र	कांग्रेस आई.
(68)	श्री उदय सिंह राव गायकवाड	महाराष्ट्र	कांग्रेस आई..
(69)	श्री गंगाधर एस. कुबल	महाराष्ट्र	कांग्रेस आई.
(70)	श्री वाई.एस. महाजन	महाराष्ट्र	कांग्रेस आई.
(71)	श्री शिव राज पाटिल	"	"
(72)	श्री उत्तमराव पाटिल	"	"
(73)	श्री विजय एन पाटिल	"	"
(74)	श्री बाला साहेब पवार	"	"
(75)	श्री उत्तम राठौड़	"	"
(76)	श्री आर.एल. यादव	"	"
(77)	श्री अनादि चरण दास	उड़ीसा	"
(78)	श्री गिरधर गोमांगो	"	"
(79)	श्री नित्यानन्द मिश्र	"	"
(80)	श्री ब्रजपुरी मोहन्ती	"	"
(81)	श्री सोमनाथ चैटर्जी	पश्चिमी बंगाल	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(82)	श्री नारायण चौबे	पश्चिमी बंगाल	अन्य दल, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
(83)	श्री इन्द्रजीत गुप्ता	"	"
(84)	श्री गनत कुमार मडल	"	अन्य दल, आर. एस पी
(85)	श्री सत्यगोपाल मिश्र	"	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(86)	श्रीमती गीता मुखर्जी	"	अन्य दल, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
(87)	श्री अजीत कुमार साह	"	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(88)	श्री ए.के. सेन	"	आरेस आई.
(89)	श्री अमर राय प्रधान	"	अन्य दल, फारवर्ड ब्लाक
(90)	श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय	"	आरेस आई.
(91)	श्री पियूष तिर्के	"	अन्य दल, आर. एस.पी.
(92)	चौधरी चरण सिंह	उत्तर प्रदेश	लोक दल
(93)	श्री एम. अरुणाचलम	तमिलनाडु	कांग्रेस आई.
(94)	श्री एस.एम. रामास्वामी पाध्याची	"	"
(95)	श्री आर. प्रभु	"	"
(96)	श्री के. रामामूर्ति	"	"
(47)	श्री एस. सुन्दराजन	"	अन्य दल, आल इंडिया अन्नाद्रविड मुनेत्र कषगम
(93)	श्री ए.जी. सूब्बुरमन	"	कांग्रेस आई.
(99)	श्री अजय विश्वास	त्रिपुरा	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(100)	श्री वाजुवन रियन	"	"

और कई अन्य सदस्य

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1989

S. O. 195(E) :—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition has been filed by Shri Rajinder Kumar Jindal, resident of 3363, Kesuruwalan, Paharganj, New Delhi alleging that more than 100 sitting members of the present (eight) Lok Sabha have become subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the constitution;

And whereas the opinion of the Election Commission was sought under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition

on the question whether the said sitting members have become subject to such disqualification;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said sitting members have not become subject to any such disqualification;

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said sitting members of the Lok Sabha have not become subject to any disqualification in terms of sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution either for being chosen as or for being members of Lok Sabha.

7th March, 1989.

R. VENKATARAMAN,
President of India

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 3 of 1987

[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution]

In re : Alleged disqualification of about 100 sitting members of the Lok Sabha.

OPINION

1.1 This is a reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution seeking the opinion of the Election Commission on the question whether certain sitting members of the present (8th) Lok Sabha have become subject to disqualification under Article 102 (1) (a) of the Constitution.

1.2 The above question arose on a petition dated 6-5-1987 of Shri Rajinder Kumar Jindal, resident of 3303, Kesurwalan, Paharganj, New Delhi, filed before the President in terms of Article 103 (1) of the Constitution of India. The petitioner alleged that more than 100 sitting members of the present (8th) Lok Sabha were disqualified to become members of the Lok Sabha as they were sitting members of the previous (7th) Lok Sabha at the time of their election to the present Lok Sabha in December, 1984 and were thus holding 'office of profit' under the Government within the meaning of article 102 (1) (a) of the Constitution. He annexed a list of 100 such sitting members of Parliament to his aforesaid petition (annexed hereto as Annexure 'V'). He contended that by reason of holding the above 'office of profit' the said members "were not competent to contest the election." He further contended that the 8th Lok Sabha constituted with these disqualified members "is thus illegally constituted and the House be ordered to be dissolved and such members of the 8th Lok Sabha be ordered to be disqualified to maintain the purity of Constitution."

2. It is apparent from the petition of Shri Jindal that what he contends is that the above mentioned sitting members of the present Lok Sabha were not competent to contest the elections at which they have been elected as they were allegedly suffering from a disqualification at the time of their election. Thus, even if it be assumed for the sake of argument that the said members suffered from disqualification, such a disqualification would be a pre-election disqualification i.e., a disqualification from which they were suffering prior to, and at the time of, their election to the present Lok Sabha. It is well settled law that the question of such pre-election disqualification can be raised only by means of an election petition presented to the High Court in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951, and the jurisdiction of the President and the Election Commission to inquire into such case of pre-election disqualification does not arise under article 103(2) of the Constitution. [See in this connection the decisions of Supreme Court in Election Commission Vs. Saka Venkta Rao (1953 SCR 1144), Brundaban Nayak Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892), Election Commission Vs. N. G. Ranga (AIR 1978 SC 1609), etc.] Therefore, the petitioner cannot raise the above question before the President in terms of article 103 (1) of the Constitution.

3. While returning the present reference to the President with my opinion to the above effect, I would like to add that the question whether a member of Parliament holds 'office of profit' within the meaning of article 102 (1) (a) of the Constitution is conclusively determined by the Supreme Court in their decision in the case of Bhagwati Prasad Dixit Ghorewala Vs. Rajiv Gandhi (AIR 1986 SC 5135). The Supreme Court in that case held as under :—

> "It is no doubt true that article 102(1) (a) says that if a person holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State other than an office declared by Parliament by law not to disquality its holder he is disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament. The question for consideration is whether the membership of either House of Parliament is such an office of profit. If what is contended by the appellant is correct there can be no member of Parliament at all because all members of Parliament are entitled to receive salaries and allowances as members. Article 106 of the Constitution expressly provides that members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of the Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India. Clause (a) of article 102 (1) and Article 106 of the Constitution must be construed in a harmonious way

When those articles are so construed, it cannot be held that by receiving the salary and allowances payable to a member of Parliament, a member of Parliament would be disqualified for being either chosen as a member of either House of Parliament or for continuing as a member of either House of Parliament. In any event the membership of Parliament is not an office under the Government. So the fact that the Lok Sabha had not been dissolved on the date on which the election was held would not amount to a disqualification in the case of the respondent who was a member of the Lok Sabha for being a candidate at the next general election."

The above Constitutional and legal position was brought to the notice of the petitioner and fully explained to him when he personally saw me in connection with his present petition.

R. V. S. PERI SASTRI,
Chief Election Commissioner of India

New Delhi, the
28th December, 1988.

[F. No. 7 (5) /89-Leg.II]
M. K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

ANNEXURE—'A'

List of some of the Members of Parliament who were Members of the 7th Lok Sabha and while drawing Salary contested the 8th Lok Sabha Elections and were elected to the 8th Lok Sabha.

(1) Deo Shri V. Kishorechandra S (Andhra Pradesh) OP Congress
(2) Ranga Professor N.G. A.P. Congress I
(3) Azand Shri Bhagwat Jha, Bihar Congress I
(4) Begum Shri Sumbrui, Bihar, Congress I
(5) Ratha Shri D.L., Bihar, Congress I
(6) Bhagat Shri B.R., Bihar, Congress I
(7) Hembrom, Shri Seth, Bihar, Congress I
(8) Kamala Kumari Kum, Bihar, Congress I
(9) Kunwar Ram Shri, Bihar, Congress I
(10) Madhuri Singh Shri, Bihar Congress I
(11) Ram Shri Ram Swarup, Bihar, Congress I
(12) Raut Shri Bhola, Bihar, Congress I
(13) Sahi Shri. Krishna, Bihar, Cogress I
(14) Sahu Shri Shiv Prasad, Bihar, Congress I
(15) Sinha Shri Kishori, Bihar, Congress I
(16) Sinha Shri Satyendra Narayan, Bihar Congress I
(17) Tapeshwar Singh Shri, Bihar, Congress I
(18) Tariq Anwar Shri, Bihar Congress I
(19) Tewari Professor K.K., Bihar, Congress I
(20) Yadav Shri D.P., Bihar, Congress I
(21) Yadav Shri Vijay Kumar, Bihar, Congress I
(22) Chavada Shri Isherr Bhai K., Gujrat Congress I
(23) Dabhi Shri Ajit Sinh, Gujrat, Congress I
(24) Damor Shri Som Jibhai, Gujrat, Congress I
(25) Digvijay Sinh Shri, Gujarat Congress I
(26) Madhvi Shri B.K., Gujarat, Congress I
(27) Gavit Shri Chitubhai, Gujarat, Congress I
(28) Gohil Shri G.B., Gujrat, Congress I
(29) Jadeja Shri Daulat Sinh ji, Gujrat, Congress I
(30) Jaideep Singh Shri, Gujrat, Congress I
(31) Patel Shri Ahmed M, Gujrat, Congress I
(32) Patel Shri C.D., Gujrat, Congress I
(33) Patel Shri U.H., Gujrat, Congress I
(34) Rathawa, Shri Amar Singh, Gujrat Congress I
(35) Ravani, Shri Navin Chandra, Gujrat Congress I
(36) Solanki, Shri Natavarsinh, Gujrat, Congress I
(37) Sharma Shri Charanji Lal, Gujrat, Congress I
(43) Naik Shri G. Devaraya, Karnataka, Congress I
(44) Naik Shri D.K., Karnataka, Congress I
(45) Sindal Shri S.B., Karnataka, Congress I
(46) Kurien Professor P.J., Kerala, Congress I
(47) Sait Shri Ebrahim Sulaiman, Kerala, O.P. M.L.
(48) Unnikrishnan K.P., Kerala, O.P. Congress S
(49) Vijayaraghavan Shri V.S., Kerala, Congress I
(50) Bhardwaj, Shri Parasram, M.P. Congress I
(51) Bhuria, Shri Dilesp Singh, M.P. Congress I
(52) Chandrakar, Shri Chandu Lal, M.P. Congress I
(53) Chaturvedi Shm. Vidyawati, M.P. Congress I
(54) Dalbir Singh Shri, M.P. Congress I
(55) Kamal Nath Shri, M.P. Congress I
(56) Mishra Shri G.S., M.P. Congress I
(57) Netam Shri Arvind, M.P. Congress I
(58) Nikhra Shri Rameshwar, M.P., Congress I
(59) Sethi Shri P.C., M.P. Congress I
(60) Sharma Shri Nand Kishore, M.P. Congress I
(61) Sharma Shri Pratap Bhanu, M.P. Congress I
(62) Shukla Shri Vidyacharan, M.P. Congress I
(63) Singh Shri Shivendra Bahadur, M.P. Congress I
(64) Bhoye, Shri R.M., Maharashtra, Congress I
(65) Choudhari Smt. Usha, Maharashtra, Congress I
(66) Dandavate Professor Madhu, Maharashtra, O.P. Janta.
(67) Gadgil Shri V.N., Maharashtra, Congress I
(68) Gaikwad Shri Uday Singrao, Maharashtra, Congress I.
(69) Kuchan Shri Gangadhar S, Maharashtra, Congress I
(70) Mahajan Shri Y.S. Maharashtra, Congress I
(71) Patil Shri Shiv Raj, Maharashtra, Congress I
(72) Patil Shri Uttamrao, Maharashtra, Congress I
(73) Patil Shri Vijay N., Maharashtra, Congress I
(74) Pawar Shri Balasaheb, Maharashtra, Congress I
(75) Rathod Shri Uttam, Maharashtra, Congress I
(76) Yadav Shri R.N., Maharashtra, Congress I
(77) Das Shri Anadi Charan, Orissa, Congress I
(78) Gomango Shri Girihar, Orissa, Congress I
(79) Mishra Shri Nityananda, Orissa, Congress I
(80) Mohanty Shri Braja Puri Mohan, Orissa, Congress I
(81) Chatterjee Shri Som Nath, West Bengal, CPIM

(82) Choube Shri Narayan, West Bengal, O.P., C.P.I.
(83) Gupta Shri Inderjit, West Bengal O.P. C.P.I.
(84) Mandal Shri Sanat Kumar, West Bengal, O.P., R.S.P.
(85) Misra Shri Satyagopal, West Bengal, C.P.I.M.
(86) Mukherjee Shm. Geeta, West Bengal, O.P. C.P.I.
(87) Saha Shri Ajit Kumar, West Bengal, C.P.I.M.
(88) Sen Shri A.K., West Bengal, Congress I
(89) Royhardhan Shri Amar, West Bengal, O.P. F.B.
(90) Mukhopadhya Shri Ananda Gopal, West Bengal, Congress I
(91) Toraky Shri Piyus, West Bengal, O.P. RSP
(92) Chaudhry Charan Singh, U.P., Lokdal
(93) Arunachalam Shri M, Tamil Nadu, Congress I
(94) Padayachi Shri S.S. Ramaswami, Tamil Nadu, Congress I
(95) Prabhu Shri R, Tamil Nadu Congress I
(96) Ramamurthy Shri K, Tamil Nadu Congress I
(97) Sundrarajan Shri Shri N, Tamil Nadu, AIAMK
(98) Subburaman Shri A.G, Tamil Nadu, Congress I
(99) Biswas Shri Ajoy, Tripura, C.P.I.M. Congress I
(100) Riyan Shri Rajuban, Tripura, C.P.I.M. And Many others

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989